कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

....

क्रमांक 1918/368/आउशि/संबद्धता/19 भोपाल, दिनांक 10/01/2020

प्रति,

1. कुलसचिव
   समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश ।

विषयः– सत्र 2020–21 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एंव पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी जारी की जाने वाली मार्गदर्शिका का प्रकाशन।

....

प्रदेश में सत्र 2020–21 में नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मार्गदर्शिका जारी की जाती है।

मार्गदर्शिका विभागीय वैबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है । पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.2.2020 निर्धारित है। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐगे । ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की प्रकिया संबंधी जानकारी एवं प्रकिया इस कार्यालय के विभागीय पोर्टल https://hed.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डी.पी. आहूजा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1919/368/आउशि/संबद्धता/19 भोपाल, दिनांक 10/01/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. कलेक्टर, समस्त जिला मध्यप्रदेश ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा आई.टी.सैल, भोपाल
5. प्राचार्य समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
6. प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

10/1/2020
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

मार्गदर्शिका

पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

नवीन अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश

ऑनलाइन पोर्टल : ***https://hed.mponline.gov.in***

विभागीय वेबसाइट : ***www.highereducation.mp.gov.in***

शाखा का ई–मेल : ***affil-he@mp.gov.in***

दूरभाष क्रमांक : 0755–2554572

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृ0क्र0
1	नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन संकाय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय, उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने एवं निरंतरता संबंधी समय–सारणी	3
2	भूमिका	4
3	अधिकार	4
4	आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने की आवश्यक कार्यवाही	4–7
5	समस्त प्रकार के आवेदन हेतु ऑनलाइन शुल्क का विवरण	7–10
6	विश्वविद्यालय द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण	10
7	आवश्यक शर्तें	10–15
8	म.प्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (XII) एवं परिनियम 27 के तहत निर्धारित समयावधि (मार्गदर्शिका के आरंभ में दर्शित)	15
9	आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर पुनरावलोकन (रिव्यू) व्यवस्था	16
10	रिव्यू में अस्वीकृत किये जाने पर शासन स्तर (प्रशासकीय विभाग) पर अंतिम निःशुल्क अपील प्रस्तुत करने की व्यवस्था	16
11	संयुक्त एफ.डी.आर. को लियन मुक्त कराये जाने हेतु निर्देश	16
12	संकाय / पाठ्यकम के लिए अनुमति	16–18
13	महाविद्यालय में शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ	18–19
14	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नवीन महाविद्यालय संचालित करना	19–20
15	आदिवासी / अनुसूचित क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति में छूट	20–21
16	अन्य उत्तरवर्ती प्रकिया / दिशा निर्देश	21–24
17	नवीन महाविद्यालयों हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के लिये चैकलिस्ट (परिशिष्ट–1)	25
18	विद्यमान महाविद्यालयों में निरंतरता / नवीन पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के लिये चैकलिस्ट (परिशिष्ट–2)	26
19	नवीन अशासकीय महाविद्यालय को सत्र 2020–21 के लिये प्रविष्टि किये जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–3)	27–29
20	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय को सत्र 2020–21 के लिए प्रविष्टि किये जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप। (परिशिष्ट–4)	30–32
21	रूपये 100 / – के शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–5)	33
22	नोटराइज्ड शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–6)	34–35
23	नगरीय / ग्रामीण भूमि संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–7)	36
24	नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन संकाय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने संबंधी ऑनलाइन आवेदन प्रकिया की संपूर्ण जानकारी (परिशिष्ट–8)	37–38

नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय, उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने एवं निरंतरता संबंधी समय–सारणी

"पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिए समय–सारणी"

क्र.	कार्य विवरण	समय सीमा (पोर्टल आरंभ होने की दिनांक से)
1.	आवेदक महाविद्यालयों द्वारा भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि।	30 दिवस
2.	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवेदक महाविद्यालयों की सूची को पोर्टल पर अपलोड करने की अवधि।	05 दिवस
3.	आवेदक महाविद्यालयों की सूची पर जन साधारण के द्वारा लिखित शिकायत/आपत्ति आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को प्रमाण सहित करने की अवधि।	10 दिवस
4.	आवेदक महाविद्यालयों की सूची पर जन साधारण के द्वारा लिखित शिकायत/आपत्ति पर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निराकरण की अवधि।	05 दिवस
5.	कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली जांच संबंधी प्रक्रिया एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त अनापत्ति/निरंतरता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने/अमान्य करने की सूचना आवेदक संस्था के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा सूचित करने की अवधि।	30 दिवस
6.	आयुक्त, उच्च शिक्षा को रिव्यू प्रस्तुत करने की अवधि।	15 दिवस
7.	आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा रिव्यू का निराकरण कर ऑनलाइन आदेश जारी करने की अवधि।	15 दिवस
8.	आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा रिव्यू आवेदन अमान्य होने पर अपील प्रस्तुत करने की अवधि।	15 दिवस
9.	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपील पर निर्णय कर ऑनलाइन आदेश जारी करने की अवधि।	15 दिवस
10.	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता जारी करने की अवधि।	60 दिवस

नोटः– *1. आयुक्त, उच्च शिक्षा की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकरण में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक/अवधि के पश्चात् जारी की गई निरंतरता/सम्बद्धता मान्य नहीं होगी।*

2. आवेदन हेतु पोर्टल वर्ष भर खुला रहेगा। सत्र 2021–22 से 30 सितम्बर तक भुगतान सहित प्राप्त आवेदनों पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विचार किया जायेगा।

3. मार्गदर्शिका सत्र 2020–21 से आरम्भ होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

4. वर्तमान सत्र में पारम्परिक पाठ्यकम की समय–सारणी के अनुसार ही विधि पाठ्यकमों से संबंधित सिर्फ निरन्तरता का प्रावधान ही रहेगा। वर्तमान सत्र में समय व्यतीत हो जाने के कारण नवीन विधि पाठ्यकम हेतु पृथक से नवीन समय–सारणी जारी नही की जायेगी।

1. भूमिका –

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिये मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउन्सिल और कार्यकारी परिषद् शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता पर आयुक्त, उच्च शिक्षा की अनुमति के उपरांत ही विचार कर सकती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्तरीय अधोसंरचना, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ एवं उत्तम शिक्षा हेतु सक्षम अशासकीय महाविद्यालय खोले जायें।

जुलाई, 2018 एवं उसके बाद के वर्षों से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र में शुरू किये जाने वाले नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के लिये तथा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नये विषय/नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिये मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन पत्रों का प्रारूप कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पोर्टल पर आवश्यक शर्तों के साथ अपलोड किया जाता है।

समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के तारतम्य में कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय, नवीन/निरंतरता के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम–27 के अन्तर्गत विस्तृत निरीक्षण और परीक्षण उपरांत नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान की जावेगी।

समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त/अप्राप्त महाविद्यालयों हेतु निर्धारित मार्गदर्शी प्रावधानों में शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों एवं जारी किये गये आदेशों के तारतम्य में आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। ये संशोधन एवं परिवर्तन समस्त अशासकीय महाविद्यालयों पर जारी होने के दिनांक से लागू रहेंगे।

2. अधिकार –

नवीन/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने आदि के क्रियान्वयन की सुविधा तथा सरलता बनाए रखने हेतु मार्गदर्शी सिद्वातों में समय–समय पर स्पष्टीकरण जारी करने/ समय–सारणी घोषित करने एवं परिवर्तन करने/ऑनलाइन पोर्टल संबंधी जानकारी देने/ अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी समस्त निर्देश जारी करने तथा प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम निर्णय का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का होगा।

3. आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने की आवश्यक कार्यवाही:–

3.1 संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :–

सत्र 2020–21 में नवीन महाविद्यालय/ नवीन संकाय/ नवीन पाठ्यक्रम/ नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता के लिए अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मार्गदर्शिका के साथ पारम्परिक पाठ्यक्रम की विस्तृत समय–सारणी जारी कर ***विभागीय वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर अपलोड की गई है जो एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल https://hed.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन प्रकिया की संपूर्ण जानकारी (परिशिष्ट–8) में दी गई है।***

आवेदक महाविद्यालय ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी प्रोफाइल बनायेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से आई.डी. पासवर्ड प्राप्त करेंगे। प्रोफाइल में समिति की समस्त जानकारी, भूमि संबंधी समस्त दस्तावेज एवं अन्य सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करेंगे। भू–अभिलेख का सत्यापन मैप आई.टी. द्वारा ऑनलाइन एवं समिति का सत्यापन एम.पी. ऑनलाइन द्वारा कराया जायेगा।

किराये के भवन के लिये किरायानामा/लीज डीड, आवेदक संस्था नोटराइज्ड शपथ पत्र (परिशिष्ट–6) के आधार पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अशासकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की निरंतरता के लिये आवेदन में विगत 03 वर्षों का कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता प्रमाण पत्र तथा उच्च शिक्षा विभाग एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी सर्शत अनुमति/सम्बद्धता की प्रतिपूर्ति के समस्त दस्तावेज ऑनलाइन स्कैन करना अनिवार्य होगा।

आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन को भुगतान करने के पूर्व तक ही निर्धारित समयावधि में संशोधित/एडिट किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन को एक बार (भुगतान कर) लॉक कर दिये जाने के बाद उसमें कोई संशोधन/एडिट संभव नहीं हो सकेगा।

पृथक प्रक्रिया से या निर्धारित अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे एवं यदि किसी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत शुल्क जमा कर डाक/हस्ते द्वारा आवेदन दिया जाता है तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। आवेदन संबंधित समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को ही समस्त क्रियाविधि के लिये 'आवेदक' के रूप में जाना जाएगा।

3.2 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आवेदक समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गये हैं। संक्षिप्त में प्रकिया के चरण निम्नानुसार होंगे –

1. ऑनलाइन आवेदन *भुगतान सहित निर्धारित अवधि* तक आमंत्रित किये जाएंगे।
2. *आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट समस्त वांछित संलग्नकों, चैकलिस्ट एवं निर्धारित शुल्क के साथ विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किया जावेगा। विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में चैकलिस्ट अनुसार वैध दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैं।*
3. *अशासकीय महाविद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक महाविद्यालयों की सूची जनसाधारण के अवलोकन/ शिकायत/आपत्ति आदि के लिये उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी। आवेदक महाविद्यालय के संबंध में जनसाधारण के द्वारा सूची प्रकाशित होने के 05 दिवस के भीतर लिखित शिकायत/आपत्ति प्राप्त होने पर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निराकरण कर निर्णय लिया जायेगा।*
4. *उच्च शिक्षा संचालनालय स्तर पर संभागवार ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का एक्सल फॉरमेट प्राप्त कर आयुक्त उच्च शिक्षा के अनुमोदन उपरांत शाखा प्रभारी के माध्यम से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय एवं आवेदक महाविद्यालय की लॉगइन आई.डी. (ई–मेल) पर उपलब्ध कराया जायेगा।*
5. *सत्र 2020–21 से अब कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कमी पूर्ति हेतु पत्र जारी किये जाने का प्रावधान नहीं होगा।*

3.3 **ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची नवीन/विद्यमान महाविद्यालय हेतु :–**

- *नवीन महाविद्यालय खोले जाने के स्थिति में आवेदक महाविद्यालय द्वारा नवीन महाविद्यालय खोलने संबंधी औचित्य।*
- *ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा किये गये शुल्क की रसीद।*
- *आवेदक महाविद्यालय अधोसंरचना को प्रदर्शित करते हुये फोटोग्राफ।*
- *भूमि संबंधी दस्तावेज – स्वयं की भूमि/लीज/किरायानामा।*
- *फर्म एवं सोसायटी का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अभिप्रमाणित रजिस्टर्ड समिति की अद्यतन सूची।*
- *रूपये 100/– के शपथ पत्र की नोटराइज्ड प्रति : प्रारुप संलग्न (परिशिष्ट–5)*
- *शपथ पत्र की नोटराइज्ड प्रति : प्रारुप संलग्न (परिशिष्ट–6)*
- *गत् वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट।*
- *गत् वर्ष की कार्यालय आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।*
- *गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज।*
- *आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित आर्डिनेंस/विषय समूह की प्रति।*
- *नवीन आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।*
- *महाविद्यालय में आवेदित/संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र।*
- *विश्वविद्यालय की गत सत्र की संबद्धता की प्रति।*
- *महाविद्यालय के गत सत्र का परीक्षा परिणाम एवं आनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची/संख्या।*
- *कालेज कोड–28 के अंतर्गत वि0वि0 द्वारा किये गये अनुमोदन की प्रति एवं समिति/ट्रस्ट/कम्पनी का नियुक्ति पत्र एवं पदभार ग्रहण करने की जानकारी के साथ, संकायवार सदस्यों के नाम, फोटो एवं डिग्री की अभिप्रमाणित प्रति ।*
- *महाविद्यालय संचालित होने के दिनांक से वर्तमान सत्र तक संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की सूची।*
- *महाविद्यालयों के समस्त स्टाफ के वेतन भत्ते एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से चालू माह का बैंक स्टेटमेंट संबंधी प्रमाण पत्र।*
- *महाविद्यालय भवन मे निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन प्रमाण पत्र।*
- *छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विषयवार विवरण।*
- *रूपये 1000/– प्रति संचालित विषय के मान से निरन्तरता शुल्क (कुल जमा शुल्क, रसीद .... क्रमाक, दिनांक ....)*

3.4 आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः—

आवेदक महाविद्यालय द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज नवीन महाविद्यालय हेतु परिशिष्ट—01 (चैकलिस्ट) एवं परिशिष्ट—03 तथा विद्यमान महाविद्यालय हेतु परिशिष्ट—02 (चैकलिस्ट) एवं परिशिष्ट—4 के अनुसार रहेंगे।

3.5 कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन :—

आवेदक महाविद्यालय की संबंधित समिति का ऑनलाइन सत्यापन एम.पी. ऑनलाइन एवं भूमि संबंधी अभिलेखों का सत्यापन मैप आई.टी. के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा।

3.6 सत्र 2020—21 में नवीन/विद्यमान महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ किये जाने तथा पूर्व संचालित महाविद्यालयों की निरंतरता हेतु संपूर्ण प्रकिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी जिसमें आवेदक महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ, आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड किया जायेगा। ***साथ ही नवीन महाविद्यालय हेतु परिशिष्ट—1 और परिशिष्ट—3 तथा विद्यमान महाविद्यालय हेतु परिशिष्ट—2 और परिशिष्ट—4 में समस्त प्रविष्टियाँ कर परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 (जो भी लागू हो) को भी स्कैन कर अपलोड किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज भी स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।***

4. समस्त प्रकार के आवेदन हेतु ऑनलाइन शुल्क का विवरण निम्नानुसार रहेगा :—

4.1 पोर्टल शुल्क :—

ऑनलाइन आवेदन हेतु "पोर्टल शुल्क" निम्नानुसार रहेगा :—

नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/नवीन कक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) एवं निरंतरता (स्नातक/स्नातकोत्तर) हेतु पोर्टल शुल्क = रूपये 500/— (पाँच सौ रूपये) (जी.एस.टी. सहित) रहेगा।

4.2 नवीन महाविद्यालय हेतु आवेदन शुल्क :—

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन शुल्क नगर—निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत आदि किसी भी सीमा में आने वाले नवीन महाविद्यालय तथा कन्या महाविद्यालय को प्रारंभ करने के लिए आवेदन शुल्क रूपये 1,00,000/— (एक लाख रूपये मात्र) होगा। संस्था यदि भविष्य में कभी कन्या महाविद्यालय को को—एड महाविद्यालय के रुप में परिवर्तित कर संचालित करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में संस्था को को—एड महाविद्यालय हेतु आवेदन करते हुये कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सत्र 2020—21 से प्रारंभ होने वाले नवीन अशासकीय महाविद्यालय के शासी गठित समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का अध्यक्ष गत तीन वर्षो से निरंतर हो तो भी नवीन महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं रहेगा। आवेदन शुल्क घटाकर मात्र एक लाख रुपये कर दिये जाने के कारण आरक्षण की छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

4.3 सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क :-

प्रदेश में संचालित होने वाले समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020–21 से आरंभ किये जाने वाले नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषयों के लिये शुल्क निर्धारण निम्नानुसार रहेगा –

4.3.1. नवीन एवं विद्यमान महाविद्यालयों हेतु पाठ्यक्रम/विषयों का शुल्क विवरण:-

महाविद्यालयों द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम/विषय का निर्धारित शुल्क भी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही जमा करना होगा।

- ***सत्र 2020–21 से नवीन संकाय/नवीन विषय/नवीन पाठ्यक्रम/अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये आवेदक महाविद्यालय को पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिये एकमुश्त शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित एकमुश्त शुल्क जमा करने पर उच्च शिक्षा विभाग से (पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिये) अनुमति प्रदान की जायेगी। उदाहरण– आगामी तीन वर्ष (स्नातक स्तर के लिये) और दो वर्ष (स्नातकोत्तर स्तर के लिये)। प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये भी यही व्यवस्था लागू होगी।***

  (उदाहरण स्नातक स्तर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष हेतु कुल योग=50,000/–)

  (उदाहरण स्नातकोत्तर स्तर, प्रति विषय– (पूर्वार्द्ध 25,000/–, उत्तरार्द्ध–25,000/– योग=50,000/–)

- ***पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये पूर्व की भाँति नियम लागू होंगे। अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यक्रमों एवं प्रत्येक अतिरिक्त विषय में भी शुल्क की यही व्यवस्था लागू होगी।***

  (1) स्नातक स्तर पर एक संकाय के चार विषयों के लिये – (आधार पाठ्यक्रम सहित तीन विषयों के लिये)

प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष –	**योग– 50,000/–**
प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये –	रू. 10,000/–

(2) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय के लिये –

पूर्वार्द्ध –(प्रति विषय)	रू. 25,000/–
उत्तरार्द्ध –(प्रति विषय)	रू. 25,000/–
	योग– 50,000/–

(3) डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए (एक वर्ष के लिये)	रू. 25,000/–
(4) एड–ऑन कोर्स (यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत) (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा) (एक वर्ष के लिये)	रू. 25,000/–
(5) अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यक्रम **(अन्य परिषद एवं बार कौंसिल आफ इण्डिया आदि)**	रू. 35,000/–

4.3.2 विलंब शुल्क :–

सत्र 2020–21 से नवीन अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात विलंब शुल्क का प्रावधान नहीं है।

4.3.3 समस्त शुल्क जमा करने हेतु बैंक एकाउंट नम्बर तथा आई.एफ.एस.सी. नम्बर :–

समस्त प्रकार के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं बी.सी.आई. पाठ्यक्रमों के लिए जमा किये जाने वाले निर्धारित शुल्क हेतु बैंक एकाउंट नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. नम्बर निम्नानुसार रहेंगे–

1. बैंक एकाउंट नम्बर–37289825032 (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा, सतपुड़ा भवन भोपाल)

2. आई.एफ.एस.सी. (IFSC) नम्बर :– (SBIN0010145)

3. शुल्क वापसी :–

(अ) रिव्यू आवेदन हेतु जमा की गई राशि रु. 35,000/– रिव्यू मान्य होने की स्थिति में शत–प्रतिशत वापिस कर दी जायेगी।

(ब) पाठ्यक्रम/विषय के लिये आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा किया गया शुल्क आवेदन स्वीकृत होने पर वापस नहीं किया जायेगा। अंतिम रूप से अमान्य/अस्वीकृत आवेदनों की उक्त राशि 10 प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क की कटौती उपरान्त अपील प्रक्रिया के पूर्णरूपेण समाप्त होने के 60 दिवस के अंदर उसी खाते में ऑनलाइन वापिस की जायेगी, जिस खाते से ऑनलाइन भुगतान के रूप प्राप्त हुई थी।

(स) समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के पूर्व में जमा किये गये किसी भी शुल्क का समायोजन मान्य नहीं होगा। आवेदक संस्था को आवेदित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा अधिक जमा राशि पूर्ण रूप से वापसी योग्य होगी। इसके लिए पृथक से विधिवत छः माह शुल्क वापसी के लिए आवेदन पत्र रु. 100/– स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, समिति ठहराव प्रस्ताव तथा जमा की गई राशि के विवरण से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को निर्धारित पूर्तियों सहित कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. में प्रस्तुत करना होगा।

4.3.4 शुल्क संबंधी अन्य विवरण :–

1. *नवीन/विद्यमान महाविद्यालय हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम अवधि तक महाविद्यालय/पाठ्यक्रम शुल्क 4.2 एवं 4.3 के अनुसार ऑनलाइन जमा करना होगा।*
2. सभी प्रकार के आवेदन शुल्क विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही निर्धारित अवधि तक जमा किये जायेंगे।

4.4 निरंतरता पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क :-

4.4.1 पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में स्नातक संकाय पूर्ण होने के उपरान्त संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाये रखने हेतु प्रति विषय प्रति वर्ष राशि रूपये 1,000/- (एक हजार) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति वर्ष प्रति विषय राशि रूपये 1,000/- (एक हजार) की दर से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश पोर्टल पर पाठ्यक्रमों का सत्यापन निरन्तरता शुल्क जमा करने के पश्चात आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी गत वर्ष के निरन्तरता आदेश के उपरान्त ही किया जायेगा।

4.4.2 उक्त निरंतरता शुल्क समय पर जमा न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

4.5. विश्वविद्यालय द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण :-

4.5.1. क. आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत नवीन अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/ नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिए निरीक्षण शासन स्तर पर न होकर केवल विश्वविद्यालय स्तर पर ही कराया जायेगा। संबंधित विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ तथा शासन का एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। शासन के प्रतिनिधि की सूची क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा उच्च शिक्षा विभाग एवं संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी। यह निरीक्षण केन्द्रीय/राज्य रेग्युलेटरी कमेटी के द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के अतिरिक्त होगा।

ख. विश्वविद्यालय के द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति के सभी सदस्य अशासकीय महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एक ही तिथि को जायेंगे। संयुक्त निरीक्षण समिति के सभी सदस्यों को संबंधित अशासकीय महाविद्यालय तक लाने ले जाने का उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक महाविद्यालय का होगा। संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा कमी पूर्ति के निर्देश जारी किये जाने के स्थिति में अशासकीय महाविद्यालय का पुनर्निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा एक ही तिथि को पूर्व के भाँति किया जायेगा।

4.5.2. आयुक्त, उच्च शिक्षा के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुक्रम में विश्वविद्यालय भी एक बार में ही सम्बद्धता प्रदान करेंगे। पाँच वर्ष की समाप्ति पर विश्वविद्यालय द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा को सूचित करते हुए स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के स्पष्ट अभिमत के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अशासकीय महाविद्यालय को संबद्धता जारी की जायेगी।

जिन आवेदक महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाएगी उनकी सूची भी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी।

5. आवश्यक शर्तें :-

नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन एवं पूर्व से संचालित सामान्य पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाये रखने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती हैं (म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से शासित मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध पाठ्यक्रम जो किसी केन्द्रीय अधिनियम से विनियमित नहीं है, जिन्हें आगे "**सामान्य पाठ्यक्रम**" से उद्बोधित किया जाएगा) :-

(1) निर्धारित प्रकिया के तहत निश्चित की गई समय सीमा में पूर्ण शुल्क एवं समिति की मोहर सहित स्वप्रमाणित समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

(2) नियमानुसार एवं इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में वर्णित समस्त मापदण्डों की पूर्ति की गई हो। मापदण्डों का विवरण निम्नानुसार है :–

5.1 <u>नवीन अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संदर्भ में</u> :–

परिनियमों 27 एवं 28 के प्रावधानों तथा निम्नानुसार **कंडिकाएं (5.2) से (5.7) में** जो भी लागू हों, का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

5.2 <u>पंजीकरण</u> :–

(1) नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने वाली समिति फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटी, म.प्र. द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्वअभिप्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ अपलोड करनी होगी।

(2) कम्पनी एक्ट में पंजीकृत कम्पनी को कॉलेज संचालित करने की पात्रता होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्वअभिप्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ अपलोड करनी होगी।

(3) चेरिटेबल ट्रस्ट जो कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा पंजीकृत हो, को कॉलेज संचालित करने की पात्रता होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्वअभिप्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ अपलोड करनी होगी।

(4) रजिस्टर्ड सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के पदाधिकारियों/सदस्यों/निर्देशकों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित वैध सूची को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

<u>टीप</u> :– यदि पंजीकृत समिति/संचालक मण्डल के सदस्य/कार्यकारिणी बदलती है तो उक्त परिवर्तित कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी से प्रमाणित सूची यथासमय कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

5.3 सामान्य पाठ्यकम के अशासकीय महाविद्यालयों के लिये भवन–भूमि का स्वामित्व :–

भवन/भूमि की उपलब्धता एवं स्वामित्व के संबंध में सामान्य पाठ्यक्रम के लिये निम्न मानदण्डों (अ), (ब) तथा (स) में से किसी एक का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत भवन–भूमि के जीयोटैक्ड फोटोग्राफ्स अपलोड किये जाना आवश्यक होगा।

5.3.1 स्वयं के भवन में महाविद्यालय संचालित करने हेतु :–

समिति/एक्ट/कम्पनी के पास महाविद्यालय के लिये स्वयं का भवन ***(समिति के नाम)*** होना आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य के व्यक्तिगत नाम पर धारित संपत्ति समिति के लिये मान्य नहीं होगी। समिति के नाम से अचल सम्पत्ति के रजिस्टर्ड दान पत्र/विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की छायाप्रति एंव राजस्व अभिलेखों खसरा पांचसाला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1–द की प्रति, अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, खसरा, भूमि के डायवर्सन में शैक्षणिक/व्यवसायिक प्रयोजन, भवन निर्माण की

अनुमति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित क्षेत्रफल के दस्तावेज एवं धारा–21 की अनुमति, भवन का शासकीय निकाय से अनुमोदित नक्शा आदि एवं दान में प्राप्त अचल संपत्ति का रजिस्टर्ड दानपत्र एवं राजस्व अभिलेखों में संबंधित अचल सपंत्ति की समिति के नाम पर नामांतरण संबंधी अभिलेखों की प्रामाणिक छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने के लिये भवन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं इसी प्रकार भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.3.2 30 वर्षीय लीज के भवन में महाविद्यालय संचालित करने हेतु :–

समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम से 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीजडीड में शैक्षणिक/व्यवसायिक डायवर्सन का प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र का कमांक व दिनांक तथा भवन का निर्मित क्षेत्रफल, ***आदि का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।***

5.3.3 तीन वर्षीय रजिस्टर्ड किरायानामा में महाविद्यालय संचालित करने हेतु :–

(1) किराये का भवन होने पर समिति के नाम से महाविद्यालय स्थल से 05 कि0मी0 की (दूरी) में नगरीय क्षेत्र में 02 एकड़ भूमि तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 05 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। (आवेदक महाविद्यालय का प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल से भूमि का दूरी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।) (परिशिष्ट–07)

(2) किराये का भवन होने पर उसे अधिकतम पांच वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि का समिति के नाम का रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (नॉन जुडिसियल स्टाम्प पेपर अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया किरायानामा मान्य नहीं होगा) पांच सत्रों के पश्चात स्वयं का भवन निर्माण न करने पर समिति को दी गई अनुमति निरस्त की जायेगी। किसी भी स्थिति में पांच सत्रों के पश्चात् किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।

(3) समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को निर्धारित अवधि में किराये के भवन से स्वयं के भवन में महाविद्यालय संचालन करने हेतु स्वयं के भवन/भूमि संबंधी समस्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति, पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव, शपथ पत्र एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

<u>टीप</u> :–

1. ग्रामीण एवं आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं से संबंधित मानदण्ड पृथक ***कंडिकाओं 12 एवं 13 में भी*** उल्लेखित किए गए हैं, जो तदनुसार लागू होंगे।
2. उपरोक्त उल्लेखित प्रमाण पत्रों, अभिलेखों के अभाव में इनके विकल्प को मान्य या अमान्य करने के विषय में आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।

5.4 केन्द्रीय अधिनियमों से विनियमित पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के लिये भवन–भूमि का स्वामित्व :–

बार कांउसिल ऑफ इण्डिया आदि परिषदों से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में नवीन महाविद्यालय स्थापित किये जाने वाले क्षेत्रों के लिये भूमि/भवन संबंधी पूर्तियां संबंधित परिषदों के नियमों/मापदण्डों के अनुसार करना अनिवार्य है। प्रमाण हेतु राजस्व अभिलेख, महाविद्यालय भवन का नक्शा मय भवन निर्मित क्षेत्रफल एवं भूमि का क्षेत्रफल दर्शाते हुये क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकृत स्थानीय निकाय द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है। आवश्यक भू–अभिलेख यथा खसरे की प्रतिलिपि, नक्शा एवं ऋण पुस्तिका की प्रति इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।

5.5 समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के महाविद्यालय भवन हेतु मानदण्ड :–

नवीन महाविद्यालय हेतु नगरीय क्षेत्र में 02 एकड़ भूमि तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 05 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने या नवीन परिसर में विद्यमान महाविद्यालय स्थानांतरित किए जाने हेतु महाविद्यालय परिसर के संबंध में समान मानदण्ड होंगे। महाविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कम से कम 15,000 वर्गफिट होना अनिवार्य होगा। जिसमें 10,000 वर्गफिट निर्मित क्षेत्रफल का प्रमाण होना आवश्यक है।

उक्त अनिवार्य निर्मित क्षेत्रफल में मात्र 02 स्नातक स्तर के संकाय की अनुमति ही प्रदान की जा सकेगी। दो संकाय के अतिरिक्त प्रति स्नातक स्तर के संकाय हेतु 3,000 वर्गफिट का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है। उक्त मापदण्ड की पूर्ति पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा करने पर ही नवीन संकाय की अनुमति प्रदान की जावेगी। इसी प्रकार प्रति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु 1,000 वर्गफिट अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है। भवन का पूर्ण विवरण स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित नक्शे के साथ भवन समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के स्वामित्व में होने संबंधी वैध प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5.6 निर्मित भवन एवं परिसर में निम्नानुसार संरचना अनिवार्य है :–

1. प्राचार्य कक्ष
2. कार्यालय कक्ष
3. स्टाफ कक्ष
4. ग्रंथालय कक्ष
5. छात्राओं के लिये कक्ष
6. स्पोर्ट्स/एनसीसी/एनएसएस कक्ष
7. प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिये प्रयोगशालाएं
8. प्रत्येक संकाय में जितने विषय पढ़ाये जाने हों, 80 विद्यार्थी प्रति व्याख्यान कक्ष के मान से उतने व्याख्यान कक्ष निर्धारित क्षेत्रफल अनुसार।
9. खेल मैदान
10. महाविद्यालय के स्टाफ और छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल व्यवस्था, पृथक–पृथक शौचालय, आवागमन एवं वाहन पार्किंग की पर्याप्त सुविधा होना आवश्यक है।

नोटः— समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिनियम 27 के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

5.7 अन्य आवश्यक मानदण्ड :—

1— नवीन महाविद्यालय भवन में स्वयं का खेल मैदान उपलब्ध नहीं होने पर महाविद्यालय भवन से 02 कि0मी0 की परिधि में खेल मैदान को उपलब्धता कराना होगा। इस हेतु समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को संबंधित अनुबंध की मूल प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रस्तुत भूमि संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्रमाणित होना अनिवार्य है।

2— सभी दस्तावेज अध्यक्ष/सचिव/महाविद्यालय के व्यक्तिगत नाम से न होते हुए समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम से होना चाहिये। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्धारित परिषदों के द्वारा स्थापित मापदण्डों के पूर्णतया अनुकूल होना चाहिये। आकस्मिक निरीक्षण में इन अर्हताओं की पूर्ति न होने पर कालेज की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने एवं वापस लेने का अधिकार राज्य शासन को तथा संबद्धता समाप्त करने का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय को होगा।

3— फर्नीचर व अन्य आवश्यक सामग्री, पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण प्रत्येक संकाय में वर्षवार विषयों में प्रत्येक विषय की निर्धारित संख्या में पुस्तकें, कम्प्यूटर, टेलीफोन सुविधा, पेयजल, टॉयलेट सुविधा एंव खेल—सामग्री आदि की उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिये। कॉलेज परिसर स्वच्छ हो व इसके आसपास कोई भी नशीले पदार्थों का विक्रय केन्द्र या असामाजिक तत्व नहीं होने चाहिये। इस विषय में मापदण्डों का पालन सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किये गये मापदण्डों का पूर्ण परिपालन करना भी अनिवार्य होगा।

4— यदि महाविद्यालय छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है तो छात्रावास में विद्यार्थियों के लिये 10x12 फुट (120 वर्ग फिट) प्रति विद्यार्थी के मान से स्थान, प्रति 6 विद्यार्थी के मान से टायलेट एवं स्नानागार, पेयजल व्यवस्था अनिवार्य होगा तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों का पंजीकरण नजदीक के पुलिस थाने में कराया जाना होगा। उपरोक्त पात्रताओं की पूर्ति न करने पर छात्रावास को आयुक्त उच्च शिक्षा/पुलिस विभाग द्वारा खाली कराया जा सकता है।

5— प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज/किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति/ट्रस्ट/कम्पनी उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये पर्याप्त अधोसंरचना/पृथक भवन में पृथक—पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्था की पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

<u>टीप</u>:— एक ही परिसर में एक से अधिक संस्था संचालित होने पर आवेदक महाविद्यालय के लिए प्रस्तावित भवन में पृथक से भवन, अधोसंरचना व अन्य समस्त मापदण्ड स्वतंत्र रूप से पूर्ण होने चाहिए एवं किसी अन्य संस्था के उपयोग में साझेदारी नहीं होनी चाहिए।

इस हेतु केन्द्रीय परिषदों के नियमो के अनुसार ही प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा। नवीन एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों को जिन्हें नवीन सामान्य पाठ्यक्रम को भी संचालित करना है उन्हें नवीन महाविद्यालय संबंधी समस्त प्रावधानों की पूर्ति पृथक से करना होगी।

6– एक ही समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों के लिये प्रत्येक प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

7– अचल सम्पत्ति की लीज की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना समिति/ट्रस्ट/कम्पनी की जवाबदेही होगी अन्यथा सम्पत्ति समिति के नाम मान्य नहीं होगी एवं अर्हता पूर्ण न होने के कारण समिति को जारी अनुमति समाप्त कर दी जायेगी।

8– समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को अचल सम्पत्ति समिति के नाम से क्रय–विक्रय करने के संबंधमें मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 21 के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, की स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

5.8 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 8151/2016 में पारित निर्णय दिनांक 13.1.17 के पालन में एवं शासन के आदेश क्रमांक–289 दिनांक 27.2.2017 अनुसार पूर्व से सचालित महाविद्यालयों में नवीन तथा निरन्तरता पाठयक्रमों के प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित विश्वविद्यालय से अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

6. म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (XII) एवं परिनियम 27 के तहत निर्धारित समयावधि :–

6.1 नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय, उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने एवं निरंतरता संबंधी समय–सारणी सत्र 2020–21 (मार्गदर्शिका के आरंभ में दर्शित)

टीपः–उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता/संबद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.2 समन्वय समिति की 89वीं बैठक के निर्णय दिनांक 25.06.2014 अनुसार एन.सी.टी.ई के संबंधित पाठ्यक्रम हेतु :–

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका कमांक डब्ल्यू. पी. 10946/15 एवं 19397/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2016 के तारतम्य में एव शासन के आदेश कमांक 2064 दिनांक 27.07.2016 द्वारा निरस्त किया गया।

6.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक 110/सीसी/अडतीस/14 दिनांक 29.01.2014 अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (15–2008) की धारा–33 (ट) के प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये परिनियम–7 की कंडिका–2,3 (ए) के तहत् अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय हेतु निर्धारित अवधि सामान्य पाठ्यक्रमों के अनुसार मान्य होगी।

7. आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर पुनरावलोकन (रिव्यू) व्यवस्था :–

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवेदन न पाये जाने पर अस्वीकृत किये जाएंगे तथा रिव्यू व्यवस्था के तहत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के द्वारा कमियों की पूर्ति करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा पुनरावलोकन (रिव्यू) कार्य सम्पन्न किया जाता है जिसके लिये आवेदक समिति/ट्रस्ट/ कम्पनी आयुक्त, उच्च शिक्षा के समक्ष रिव्यू का विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। ***ऐसे प्रकरण में आवेदक को आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा गठित तीन सदस्यीय रिव्यू समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।*** रिव्यू हेतु शुल्क रूपये 35,000/– (रूपये पैंतीस हजार) केवल ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

7.1 रिव्यू शुल्क वापसी :–

रिव्यू आवेदन शत–प्रतिशत मान्य होने की स्थिति में रिव्यू आवेदन के साथ जमा की गई राशि रूपये 35,000/– (पैंतीस हजार) वापस की जायेगी। आंशिक रूप से रिव्यू मान्य होने पर रिव्यू शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

8. रिव्यू में अस्वीकृत किये जाने पर शासन स्तर (प्रशासकीय विभाग) पर अंतिम निःशुल्क अपील प्रस्तुत करने की व्यवस्था :–

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक पाठ्यक्रम के लिये जारी समय सारणी अनुसार ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है। (मार्गदर्शिका के आरंभ में दर्शित)

8.1 समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को एक बार दी गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो तत्काल अनुमति निरस्त कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में समिति के द्वारा जमा की गई राशि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजसात कर ली जाएगी।

8.2 रिव्यू में आवेदन किसी भी कारण से अमान्य होने के बाद समय सारणी के अनुसार अपील की कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल को संबोधित करते हुये अपील की जा सकेगी। इस हेतु आवेदन ऑनलाइन ई–मेल affil-he@mp.gov.in पर करना होगा।

8.3 किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकरण जैसे छात्रवृत्ति, न्यायालयीन प्रकरण, जिला प्रशासन द्वारा की गई शिकायत तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत या जांच प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

8.4 बिन्दु क्रमांक 8.3 के संदर्भ में, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकरण में अपील की कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, म.प्र. शासन भोपाल को संबोधित करते हुये अपील की जा सकेगी।

9. संयुक्त एफ.डी.आर. को लियन मुक्त कराये जाने हेतु निर्देश :–

प्रस्तावित नवीन प्रावधानों के अनुसार सन् 1950 से 2008 तक संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को दिनाँक 31.03.2020 तक पूर्व में उनके द्वारा जमा संयुक्त एफ.डी.आर. को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग से अनिवार्यतः लियन मुक्त कराये जाने एवं संस्था को वापस किये जाने का प्रावधान है। आवेदन के साथ 50/– का शपथ पत्र एवं पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न करना होगा।

10. संकाय/पाठ्यक्रम के लिये अनुमति :–

10.1 संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदित अध्यादेश/विषय समूहों के आधार पर मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा (निजी विश्वविद्यालयों को छोड़कर) जो पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) **अशासकीय महाविद्यालयों हेतु मान्य है, की अनुमति कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा** प्रदान की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय में संचालित आवेदित समूहों की विवरणिका एवं अनुमोदित अध्यादेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित अर्हता अनुसार ही पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही नवीन आवेदित पाठ्यक्रम/डिप्लोमा आदि के लिए विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुल सचिव का प्रमाण पत्र अग्रिम संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10.2 समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा किआवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है।

10.3 नये प्रारम्भ होने वाले महाविद्यालय को केवल स्नातक स्तर के संकायो की मंजूरी की पात्रता होगी। विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय दिनांक 24.07.2004 के अनुसार विद्यमान महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यकमों के तीन वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) पूर्ण होने के उपरान्त केवल उन्ही विषयों/संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यकमों की पात्रता होगी, जिन्हें तीन वर्ष तक महाविद्यालय में पढ़ाया गया हो।

10.4 **समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को दी गई अनुमति के पश्चात् यदि समिति एक से तीन वर्षों तक द्वितीय एवं तृतीय तथा उत्तरार्द्ध के पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्राप्त नहीं करती है या महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश निरंक रहता है तो ऐसी स्थिति में समिति को गत तीन वर्षों का संबंधित विश्वविद्यालय से जीरो सत्र का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अनुमति देने पर विचार किया जाना संभव होगा। यदि समिति विश्वविद्यालय का जीरो सत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है तो समिति को राशि रूपये 40,000/– (रूपये चालीस हजार) चालान द्वारा दांडिक शुल्क के रूप में आवेदित पाठ्यकमों की निरंतरता की अनुमति के लिये आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त नियम अनुमति प्राप्ति के 03 वर्षों तक ही मान्य होगा, इससे अधिक होने पर समिति को पुनः नवीन विषय/संकाय के रूप मे आवेदन करना होगा।**

10.5 अन्य परिषद जैसे बार कौंसिल ऑफ इंडिया एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित पाठ्यक्रम हेतु आवेदित समितियों को संबंधित विभाग/परिषद की यथास्थिति अनुमति एवं चेक लिस्ट अनुसार आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा।

10.6 अनुमति उपरान्त समिति/ट्रस्ट/कम्पनी महाविद्यालय प्रारंभ नहीं करना चाहती है या पूर्व से संचालित महाविद्यालय को बन्द करना चाहती है तो, कारणों का उल्लेख करते हुये आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव औचित्य सहित समिति के निर्णय (ठहराव प्रस्ताव) की मूल प्रति संलग्न करनी होगी जिस पर पंजीकृत समिति के फर्म्स एवं सोसाइटी से अनुमोदित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष/सचिव की ओर से नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि समिति/महाविद्यालय पर किसी कर्मचारी/समिति/छात्र अथवा शासन का कोई देय बकाया नहीं है। राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में महाविद्यालय बंद करने का औचित्य सहित विज्ञप्ति की मूल प्रति भी संलग्न करनी होगी। बिना अनुमति

महाविद्यालय बन्द करने पर समिति ब्लेक लिस्ट मानी जावेगी और समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय को भविष्य में बंद करने पर समस्त वैधानिक जिम्मेदारी समिति/ट्रस्ट/कम्पनी की होगी। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम चलाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

10.7 अशासकीय महाविद्यालय का बंद किया जाना :–

किसी भी अशासकीय महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने तथा प्राधिकारी द्वारा इसकी जाँच कराये जाने के उपरांत शिकायत के सत्य पाये जाने पर संबंधित अशासकीय महाविद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने यहाँ तक कि संस्था को बंद करने का अधिकार भी आयुक्त उच्च शिक्षा को होगा। संबंधित संस्था को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग में अपील का अधिकार होगा।

10.8 महाविद्यालय बंद होने अथवा म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से मुक्त होने पर संस्था द्वारा चल सम्पति के रुप में जमा की गई संयुक्त एफ.डी.आर. को आयुक्त, उच्च शिक्षा के लियन से मुक्त किया जायेगा।

10.9 समन्वय समिति के निर्णय अनुसार समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को संचालित पाठ्यक्रम/संकाय बंद करने के संबंध में सीधे राज्य शासन/संबंधित विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा ही पाठ्यक्रम/संकाय आगामी सत्र से बंद करने की अंतिम अनुमति दी जावेगी परन्तु, बंद करने के पूर्व महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

11. महाविद्यालय में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ :–

अशासकीय महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट के अनुपात में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियम 27 के अनुसार अपेक्षित संख्या में परिनियम–28 (कॉलेज कोड–28) के तहत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ होना अनिवार्य है। संस्था में ***विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पूर्व कालेज कोड–28 के अन्तर्गत नियुक्त संकायवार सदस्यों के नाम, फोटो एवं डिग्री की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि सहित नियुक्ति पत्र तथा पदभार ग्रहण संबंधी जानकारी विभागीय पोर्टल पर आवेदन करते समय दर्ज करना होगा जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:–***

11.1 **(क)** महाविद्यालय में सत्र की कक्षाएँ प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती नियम,1979) तथा संशोधित भर्ती नियम, परिनियम–28 (कॉलेज–कोड) के अंतर्गत लागू स्थिति में योग्यताओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की जानी होगी।

(ख) प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण–कालिक होना अनिवार्य है।

(ग) स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय में प्रत्येक सेक्शन के लिये कम से कम एक सहायक प्राध्यापक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक कक्षा/विषय के अनुसार पृथक–पृथक प्राध्यापकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। खेलकूद गतिविधियों के लिये क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त हो।

(घ) अशैक्षणिक स्टाफ के अंतर्गत लायब्रेरियन, मुख्यलिपिक, लेखापाल, न्यूनतम दो निम्न श्रेणी लिपिक, प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये कम से कम एक–एक प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, सफाई कर्मचारी व चौकीदार की नियुक्ति हो।

(ड.) नियुक्ति उपरान्त समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का वेतन भत्तों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

11.2 विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन में प्रवेश हेतु छात्र संख्या यू.जी.सी. के मापदंडों के अनुसार अथवा पाठ्यक्रमों से संबंधित कौंसिल/केन्द्रीय परिषद्/राज्य परिषद के मापदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित की जाएगी। आवेदन के समय आवेदित पाठ्यकम में कितने सेक्शन व प्रत्येक में अधिकतम प्रवेश योग्य छात्र संख्या मापदण्डानुसार दर्शा कर आवेदन करना होगा। इस अनुसार ही अधोसंरचना–सुविधाओं की पर्याप्तता का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जावेगा।

11.3 नियुक्त किये गये स्टाफ की फोटो, प्रमाण (आवेदन पत्र में वर्णित) पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि एवं बैंक एकाउण्ट सत्र प्रारंभ होने के 07 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय को देना अनिवार्य होगा।

11.4. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज/नवीन पाठयकम/निरन्तरता के लिए आवेदन किये जाने पर संचालनालय द्वारा गत वर्ष के कियान्वयन में कोड–28 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही/पूर्तियां पूर्ण होनी चाहिए। कार्यवाही/पूर्तियों के अभाव में आगामी वर्षो हेतु महाविद्यालय संचालन/पाठ्यकम निरंतरता संबंधी अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी जिसका सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय/समिति/ट्रस्ट/कम्पनी का होगा एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

11.5 स्टाफ के वेतन भत्ते :– महाविद्यालयों के समस्त स्टाफ के वेतन भत्ते एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने संबंधी अद्यतन प्रमाणित अभिलेख समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.6 वेतन संबंधी बैंक से भुगतान के स्पष्ट दस्तावेज यथा संबंधितों की बैंक पास–बुक, संस्था की कैश बुक जिसमें बैंक से भुगतान का स्पष्ट उल्लेख ओवदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

11.7 नवीन महाविद्यालय के आवेदन में प्रथम बार कोड 28 अन्तर्गत नियुक्ति की जाने की शर्त अनिवार्य नही है अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रथम वर्ष पाठयकम संचालित करते हुए वांछित कोड 28 की नियुक्तियां पूर्ण की जाना होगा।

12. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नवीन महाविद्यालय संचालित करना :–

12.1 राज्य शासन की यह नीति है कि नये महाविद्यालय खोलने की मंजूरी उन संस्थाओं को दी जावेगी जिनकी वित्तीय स्थिति आवेदन करते समय मजबूत हो। किराये के भवन में नवीन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अचल संपत्ति बाबत् यह शर्त है कि भवन या भूमि समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम उसी स्थान पर होना आवश्यक है जहाँ महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना है।

12.2 राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने के लिये उन्हें कंडिका 5.3.3 के बिंदु क.(1) में उल्लेखित अचल

सम्पत्ति की अनिवार्यता में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। इस छूट के लिये निर्धारित शुल्क रूपये 2500/– (रूपये दो हजार पांच सौ) के साथ आवेदन देना होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्प संख्यक घोषित करने के संबंध में संबंधित विभाग/संस्था का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

12.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का आशय यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिये कि राज्य शासन अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को अधोसंरचनाविहीन कालेज में पढ़ने के लिये बाध्य कर रहा है। इसलिये यह भी निर्णय लिया गया है कि यह छूट केवल दो साल के लिये ही रहेगी। छूट की अवधि के दौरान नये विषय नहीं खोले जायेंगे और दो साल के अंदर अगर महाविद्यालय के लिये पर्याप्त अचल सम्पत्ति जुटाने में समिति/ट्रस्ट/कम्पनी असमर्थ रहती है तो आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दी गई मंजूरी समाप्त हो जाएगी।

12.4 इस प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

(क) समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के सभी पदाधिकारी/कार्यकारी समिति के सदस्य अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होगें। अगर इसमें कोई अपवाद होता है तो वह समिति अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शासित नहीं मानी जायेगी। अल्पसंख्यक विभाग के आयुक्त का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(ख) छात्रों के प्रवेश संबंधी संविधान के 93वें संशोधन अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य श्रेणी का रहेगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग का बंधन नहीं होगा।

12.5 अगर कोई समिति/ट्रस्ट/कम्पनी इन शर्तो को पूरा करती है तो वह संभाग (जहाँ महाविद्यालय स्थापित है/किया जाना है) के कमिश्नर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसे अचल सम्पत्ति की अनिवार्यता से छूट के लिये निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगी।

13. आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति में छूट :–

13.1 राज्य शासन की यह नीति है कि नये महाविद्यालय खोलने की मंजूरी उन संस्थाओं को दी जावेगी जिनकी वित्तीय स्थिति आवेदन देते समय मजबूत हो। नये महाविद्यालय की स्थापना संबंधी अन्य शर्तो के साथ अचल संपत्ति बाबत् यह शर्त है कि स्वयं का भवन न होने पर अचल संपत्ति के रूप में भूमि नगरीय क्षेत्र में 02 एकड़ तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 05 एकड़ समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम से महाविद्यालय स्थल से 05 कि0मी0 की परिधि में होना आवश्यक है।

13.2 राज्य शासन ने संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करने एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्न क्षेत्रों में उक्त अचल सम्पत्ति की शर्तो में 3 वर्ष की स्थायी छूट देने का निर्णय लिया है:–

(क) समस्त आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र

(ख) ऐसे जिले जहां अनुसूचित जाति की आबादी 20 प्रतिशत या इससे अधिक है।

13.3 महाविद्यालय संचालन के 05 वर्ष पूर्ण होने पर समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को महाविद्यालय का संचालन स्वयं के भवन में करना अनिवार्य होगा। स्वयं के भवन में महाविद्यालय संचालित करने की पूर्ति के अभाव में अनुमति स्वंयमेव निरस्त मानी जावेगी, यदि समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अचल सम्पत्ति के प्रावधानों की पूर्ति कर देती है तो अनुमति जारी रखने की कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग के नियम/निर्देशानुसार की जावेगी। 05 (पाँच) वर्ष की समय सीमा में वृद्धि किसी भी स्थिति में मान्य नहीं की जावेगी।

13.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक, कर्मचारी, लायब्रेरी और उपकरण इत्यादि में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। निजी संस्थाओं को उक्त क्षेत्रों में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तत्संबंधी संस्थाओं के अधिकृत अधिकारी/समिति/ट्रस्ट/कम्पनी का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित स्थल उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है।

14. अन्य उत्तरवर्ती प्रक्रिया/दिशा निर्देश :–

14.1 महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन करने बाबत् :–

संचालित महाविद्यालय का स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत) की सीमा में सामान्यतः स्थानांतरण मान्य होगा किन्तु महाविद्यालय का स्थानांतरण संबंधित स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर अपरिहार्य कारणों से किया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय की परिधि से अधिकतम 2 किमी की दूरी तक ही स्थानांतरण मान्य होगा। परिधि से 2 किमी की दूरी तक स्थानांतरण की स्थिति में समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को नियमानुसार नवीन महाविद्यालय शुल्क के साथ शासकीय अग्रणी महाविद्यालय से दूरी संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) चालान द्वारा निर्धारित मद में जमा कर पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के ठहराव प्रस्ताव के साथ रूपये 50/– का शपथ पत्र, नवीन स्थानांतरित महाविद्यालय भवन के समस्त पंजीकृत दस्तावेज कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करने के पश्चात् सुनवाई में मूल दस्तावेजों से मिलान के उपरांत ही स्थान परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जाना संभव होगा।

14.2 महाविद्यालय का नाम परिवर्तन :–

(क) महाविद्यालय प्रारंभ होने के तीन वर्ष पश्चात् संपूर्ण संचालन अवधि में नाम परिवर्तन का मात्र एक अवसर प्रदान किया जावेगा। महाविद्यालय प्रारंभ होने के पश्चात् समिति/ट्रस्ट/कम्पनी यदि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करना चाहती है तो इस हेतु समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी का ठहराव प्रस्ताव, रूपये 50/– का शपथ पत्र की मूल प्रति तथा राशि रूपये 25,000/–(रूपये पच्चीसहजार मात्र) का मूल चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य परिषद से संबंधित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में परिषद से संबंधित नियम लागू रहेगें।

(ख) संस्था यदि कन्या महाविद्यालय से को–एड महाविद्यालय का संचालन करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में संस्था को को–एड महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा नाम परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान निर्धारित मद में किया जाना होगा।

14.3 महाविद्यालय की समिति/ट्रस्ट/कम्पनी में परिवर्तन :–

(क) समिति/ट्रस्ट/कम्पनी परिवर्तन के संबंध में यदि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व के पंजीकृत सदस्यों के नामों में परिवर्तन करते हुए नवीन नामों का मनोनयन किया जाता है तो नवीन अनुमोदित सूची इस कर्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तदनुसार संशोधित समिति/ट्रस्ट/कम्पनी ही महाविद्यालय संचालन हेतु मान्य होगी।

(ख) समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम में यदि समिति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी/कम्पनी एक्ट से संशोधन कराती है तो, रूपये 50/–का शपथ पत्र, राशि रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का मूल चालान एवं संशोधित समिति/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम से समस्त चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा संचालित महाविद्यालय, किसी अन्य समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को हस्तांतरण करने बाबत् रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के नियम लागू रहेंगे।

14.4 इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग न करने बाबत् :–

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नई दिल्ली के पत्र कमांक–डी0ओ0न0–23/24/2005–आई0टी0, दिनांक–7/3/06 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ 19/40/2006/1/4, दिनांक 10.4.06 द्वारा अशासकीय संस्थाओं के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। अतः समिति/ट्रस्ट/कम्पनी/महाविद्यालय के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का प्रयोग नहीं किया जावे। इंडियन एवं नेशनल शब्द के नाम के आवेदन मान्य योग्य नहीं होगें। इसके लिये समिति/ट्रस्ट/कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी। किसी भी जाति विशेष के नाम पर महाविद्यालय का नाम नहीं रखा जा सकेगा। इस बारे में आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

14.5 महाविद्यालयों के बोर्ड पर अंकित अनावश्यक/भ्रमित जानकारी न देने बाबत :–

महाविद्यालय के बिल्डिंग पर लगाये बोर्ड पर केन्द्रीय परिषद/राज्य परिषद/विश्वविद्यालय की मान्यता का उल्लेख के अलावा अन्य भ्रमित एवं अनियमित अनुशंसाएं/अग्रेषण लिखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

14.6 राज्य शासन के आदेश कमांक 1–4/2013/ई.स्था.–38/रासेयो दिनांक 30.3.2013 के तारतम्य मे अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित इकाई खोलना/प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। (इस संबंध में प्रमाण पत्र अपलोड/प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14.7 अन्य दिशा–निर्देश :–

(क) समिति / ट्रस्ट / कम्पनी यदि मूल ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करती है तो उसे ठहराव प्रस्ताव की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) अशासकीय महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त वे उत्तरवर्ती कक्षाओं एवं नवीन विषयों / पाठ्यक्रमों एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों / विषयों की निरन्तरता हेतु आवेदन कर सकेंगे। अनुमति प्राप्त विषय / संकाय में 03 वर्ष तक प्रवेश न होने पर या पाठ्यक्रम संचालित न होने की स्थिति में पुनः चौथे वर्ष से उक्त विषय / संकाय की अनुमति हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् समिति / ट्रस्ट / कम्पनी को अनुमति / संबंद्धता हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त होने पर ही समिति / ट्रस्ट / कम्पनी द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की पात्रता होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश राज्य शासन द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर द्वारा निर्धारित तारीख तक ही दिये जा सकेंगे।

(घ) ***समय–समय पर अशासकीय महाविद्यालय के औचक निरीक्षण का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को होगा। किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर या अनुमति की शर्तों का पालन न करने पर दी गई अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी तथा जमा चल सम्पत्ति की राशि शासन के पक्ष में दण्डस्वरूप राजसात की जावेगी। आवेदक महाविद्यालय को ऑनलाइन आवेदन के साथ नोटराइज्ड शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट–6)***

(ङ.) यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पूरी अनुमतियां प्राप्त करने के पूर्व यदि कोई समिति / ट्रस्ट / कम्पनी प्रवेश देती है तो उसकी मान्यता निरस्त कर चल एवं अचल सम्पत्ति के रूप में जमा प्रतिभूति राजसात (Time barred) करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(च) ***पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रतिस्थापित शर्तों (सशर्त मान्य प्रकरणों में लगाई गई शर्तों) की पूर्ति होने के उपरांत ही आगामी सत्र हेतु दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा।***

(छ) समस्त अशासकीय महाविद्यालय अपनी स्वयं की वैबसाइट निर्मित करेंगे तथा समय–समय पर उसे अद्यतन भी करेंगे।

(ज) इसके अतिरिक्त पूर्तियाँ न पाये जाने पर अथवा गलत / असत्य हलफनामा दिये जाने के परिणाम स्वरूप समिति / ट्रस्ट / कम्पनी / संस्था के समस्त सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जावेगा।

(झ) समिति / ट्रस्ट / कम्पनी को निम्न तीनों बिन्दुओं की पूर्ति कार्यालय द्वारा अनुमति प्राप्त होने के एक माह में ***ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा महाविद्यालय का नाम ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा :–***

1.–पुस्तकों की सूची / देयक

2.–कम्प्यूटर, प्रयोगशाला उपकरणों के देयक

3.–शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की सूची।

(ञ) समिति / ट्रस्ट / कम्पनी विद्यमान महाविद्यालय भवन के निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि करती है तो वृद्धि संबंधी मूल दस्तावेजों ***को स्वयं सत्यापित करेंगे तथा इन दस्तावेजों को स्वयं संधारित करेंगे।***

अवर सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन

परिशिष्ट–1

नवीन महाविद्यालयों हेतु निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट

क्र.	विवरण	संलग्न	
		हाँ	नहीं
1.	समिति / ट्रस्ट / कम्पनी द्वारा निर्धारित नवीन महाविद्यालय एवं आवेदित पाठ्यकम शुल्क की रसीद की मूल प्रति।		
2.	रूपये 100 / – के शपथ पत्र की मूल प्रति (नोटराइज्ड) परिशिष्ट–5		
3.	समिति / ट्रस्ट / कम्पनी का रजिस्ट्रार, फर्म एंव संस्थाओं का पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
4.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं से अनुमोदित समिति / ट्रस्ट / कम्पनी के पदाधिकारियों / सदस्यों की हस्ताक्षर सहित सूची तथा बायलॉज एवं धारा–27 की प्रति।		
5.	समिति / ट्रस्ट / कम्पनी के पंजीयन की आवेदक संस्था द्वारा अद्यतन सत्यापित प्रति।		
6.	स्वयं का भवन होने पर अचल सम्पत्ति के दान पत्र / विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की छायाप्रति एंव राजस्व अभिलेखों खसरा पांच साला / किश्तबंदी खतौनी / फार्म बी–1–द की प्रति। अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण खसरा, डायवर्सन, भवन निर्माण की अनुमति भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित क्षेत्रफल के दस्तावेज एवं धारा–21 की अनुमति, भवन का शासकीय निकाय से अनुमोदित नक्शा आदि।		
7.	30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज डीड होने पर भवन के शैक्षणिक डायवर्सन का प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र का कमांक व दिनांक तथा भवन का निर्मित क्षेत्रफल, आदि का रजिस्टर्ड लीज डीड में उल्लेख होना अथवा तत्संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ।		
8.	किराये का भवन होने पर समिति / ट्रस्ट / कम्पनी के नाम से 03 वर्ष का रजिस्टर्ड किरायानामा एवं महाविद्यालय स्थल से 05 कि0मी0 की परिधि में नगरीय क्षेत्र में 02 एकड तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 05 एकड भूमि के सत्यापित रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं महाविद्यालय स्थल से दूरी संबंधी आवेदक संस्था का प्रमाण पत्र परिशिष्ट–7		
9.	आवेदित पाठ्यकम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित आर्डिनेंस / विषय समूह की प्रति।		
10.	महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में संचालित किये जाने पर आदिवासी क्षेत्र का संबंधित जिले के कलेक्टर का प्रमाण पत्र।		
11.	अन्य परिषद से संबंधित पाठ्यकमों हेतु संबंधित परिषद की अनुमति प्राप्त कर उसकी आवेदक संस्था द्वारा सत्यापित प्रति।		
12.	समिति / ट्रस्ट / कम्पनी के गत वर्ष 2019–20 का अंकेक्षित आय–व्यय विवरण (बैलेन्स शीट)।		
13.	महाविद्यालय में आवेदित / संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र।		
14.	राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित ईकाई खोलना / प्रारंभ किया जाना आवश्यक है इस संबंध में प्रमाण पत्र।		
15.	महाविद्यालय भवन में स्वयं का खेल मैदान उपलब्ध होने का प्रमाण अथवा न होने पर प्रस्तावित महाविद्यालय भवन से 02 किमी परिधि में खेल मैदान की उपलब्धता का प्रमाण।		
16.	नवीन आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।		
17.	*नोटराइज्ड शपथ पत्र की मूल प्रति (परिशिष्ट–6)*		
18.	नवीन अशासकीय महाविद्यालय के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रारूप। (परिशिष्ट–3)		

नोट :– क्रमांक 01 से 18 तक वांछित समस्त अभिलेखों को आवेदन पत्र के साथ स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष / सचिव / प्रबंध संचालक

परिशिष्ट–2

विद्यमान महाविद्यालयों में निरंतरता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन संकाय/नवीन विषय/अतिरिक्त विषय हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट

क.	विवरण	संलग्न	
		हाँ	नहीं
1.	आवेदित पाठ्यकमों एवं पूर्व संचालित पाठ्यकमों का निरंतरता हेतु निर्धारित शुल्क रसीद की मूल प्रति		
2.	रूपये 100/- के शपथ पत्र की मूल प्रति (नोटराइज्ड) परिशिष्ट–5		
3.	विगत वर्षो में यदि सशर्त अनुमति दी गई हो तो उनकी पूर्ति संबंधी दस्तावेज।		
4.	विश्वविद्यालय की गत सत्र की संबंद्धता की प्रति।		
5.	गत सत्र की ऑडिट रिपोर्ट मार्च–2019 की स्थिति में।		
6.	महाविद्यालय के गत सत्र का परीक्षा परिणाम एवं ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची/संख्या।		
7.	गत वर्ष की आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अनुमति की छायाप्रति।		
8.	कालेज कोड–28 के अंतर्गत वि0वि0 द्वारा किये गये अनुमोदन की प्रति एवं समिति/ट्रस्ट/कम्पनी का नियुक्ति पत्र एवं पदभार ग्रहण करने की जानकारी के साथ, संकायवार सदस्यों के नाम, फोटो एवं डिग्री की अभिप्रमाणित प्रति ।		
9.	महाविद्यालय संचालित होने के दिनांक से वर्तमान सत्र तक संचालित समस्त पाठ्यकमों की सूची।		
10.	महाविद्यालयों के समस्त स्टाफ के वेतन भत्ते एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से चालू माह का बैंक स्टेटमेंट संबंधी प्रमाण पत्र।		
11.	महाविद्यालय भवन में निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि संबंधी दस्तावेजों को संबंधित आवेदक संस्था द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।		
12.	छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विषयवार विवरण।		
13.	महाविद्यालय में आवेदित/संचालित किये जाने वाले पाठ्यकमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र।		
14.	रजिस्टर्ड सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त अभिप्रमाणित अद्यतन वैद्य सूची।		
15.	समिति/ट्रस्ट/कम्पनी परिवर्तन के संबंध में यदि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व के पंजीकृत सदस्यों के नामों में परिवर्तन करती है या नवीन नामों का मनोनयन किया जाता है तो नवीन अनुमोदित सूची एवं धारा–27 की प्रति।		
16.	राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित ईकाई खोलना/प्रारंभ किये जाने का प्रमाण पत्र।		
17.	नवीन आवेदित पाठ्यकम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यादेश/विषय समूह की प्रति		
18.	नवीन आवेदित पाठ्यकम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।		
19.	रूपये 1000/- प्रति संचालित विषय के मान से निरन्तरता शुल्क (कुल जमा शुल्क, रसीद .... क्रमाक, दिनांक ....)		
20.	*नोटराइज्ड शपथ पत्र की मूल प्रति (परिशिष्ट–6)*		
21.	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रारूप। (परिशिष्ट–4)		

नोट :– कमांक 01 से 21 तक वांछित समस्त अभिलेखों को आवेदन पत्र के साथ स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष/सचिव/प्रबंध संचालक

(परिशिष्ट–3)

नवीन अशासकीय महाविद्यालय के लिये प्रविष्टि किये जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप

नवीन महाविद्यालय का नाम	
समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	
नवीन महाविद्यालय का स्थापना वर्ष	

——00——

महाविद्यालय कोड–

"आवेदन पत्र के आधार पर प्रविष्टि की जाये"

1.	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	
2.	महाविद्यालय का नाम	

3. आवेदित पाठ्यक्रम/कक्षाओं का विवरण (पारित अध्यादेश अनुसार पाठ्यक्रम) :–

क्रमांक	आवेदित पाठ्यकम का नाम	निर्धारित शुल्क	जमा शुल्क
i			
ii			
iii			
iv			
v			
vi			
	कुल योग		

4. बिन्दु– 3 में वर्णित आवेदित पाठ्यकमों का आवेदन शुल्क संबंधी विवरणः–

क्रमांक	निर्धारित शुल्क राशि का विवरण	जमा शुल्क राशि	बैंक का नाम/स्थान खाता क्रमांक/आय.एफ.सी. नंबर एवं दिनांक
i	एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर जमा किया गया शुल्क		
	कुल योग		

5. अचल सम्पत्ति का विवरणः–

(अ) स्वंय का भवन होने पर

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	भूमि के रजिस्टर्ड दस्तावेज			
ii	भूमि का रकबा			
iii	खसरा/बी–1			
iv	धारा–21 की अनुमति			
v	भूमि का डायवर्सन			
vi	भवन निर्माण की अनुमति			
vii	भवन का अनुमोदित नक्शा			
viii	भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित)			
ix	कुल क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			

x	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
xi	खुला क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			

(ब) लीज का भवन होने पर

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीजडीड के दस्तावेज			
ii	लीजडीड की अवधि			
iii	भवन निर्माण की अनुमति			
iv	भवन पूर्णता प्रमाण पत्र			
v	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
vi	यदि भूमि कृषि की है तो डायवर्सन (हैं/नहीं)			
vii	कुल क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
viii	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
ix	खुला क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			

(स) किराया का भवन होने पर

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	रजिस्टर्ड किरायानामा की प्रति			
ii	रजिस्टर्ड किराये नामे की अवधि			
iii	किराये का भवन होने पर 02 (शहरी क्षेत्र)/05 (ग्रामीण क्षेत्र) एकड़ भूमि रजिस्टर्ड समिति/ट्रस्ट/कंपनी के नाम 05 किलोमीटर की परिधि में भूमि होने संबंधी दस्तावेज			
iv	किराये का भवन होने पर 02 (शहरी क्षेत्र)/05 (ग्रामीण क्षेत्र) एकड़ भूमि रजिस्टर्ड समिति/ट्रस्ट/कंपनी के नाम 05 किलोमीटर की परिधि में भूमि होने संबंधी प्रमाण पत्र			
v	कुल क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
vi	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
vii	खुला क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			

(द) अन्य जानकारी

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	प्रस्तावित महाविद्यालय किस क्षेत्र में स्थापित है नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र			
ii	(अ) समिति/ट्रस्ट/कंपनी का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (ब) समिति/ट्रस्ट/कंपनी के बायलॉज			
iii	कालेज में कक्षों की कुल संख्या			
iv	व्याख्यान कक्षों की संख्या			
v	खेल मैदान की जानकारी (वर्गफुट में)			
vi	प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्षों की संख्या			
vii	पुस्तकालय कक्षों की संख्या			
viii	पार्किंग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
ix	शौचालयों की संख्या			

x	पेयजल व्यवस्था की जानकारी			
xi	महिला एवं पुरूष प्रसाधन कक्षों की संख्या (अलग–अलग)			
xii	100/– के शपथ पत्र की मूल प्रति (परिशिष्ट–5)			
xiii	संस्था का अंकेक्षण आय–व्यय पत्रक (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति मे)			
xiv	महाविद्यालय में आवेदित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा–पत्र			
xv	आदिवासी जिला होने संबंधी कलेक्टर का प्रमाण पत्र			
xvi	अध्यादेश की प्रति/नवीन आवेदित पाठ्यक्रम के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव का प्रमाण–पत्र			
xvii	राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारंभ करने संबंधी प्रमाण पत्र			
xviii	नोटराइज्ड का मूल शपथ पत्र (परिशिष्ट–6)			

आवेदक महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सचिव

हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक)

नाम एवं मोबाइल नम्बर................................

(परिशिष्ट–4)

विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय के लिए प्रविष्टि किये जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप।

विद्यमान महाविद्यालय का नाम	
समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	
विद्यमान महाविद्यालय का स्थापना वर्ष	

——00——

महाविद्यालय कोड–

"आवेदन पत्र के आधार पर प्रविष्टि की जाये"

1.	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	
2.	महाविद्यालय का नाम	

3. आवेदित पाठ्यक्रम/कक्षाओं का विवरण (पारित अध्यादेश अनुसार पाठ्यक्रम) :–

क्रमांक	आवेदित पाठ्यकम का नाम	निर्धारित शुल्क	जमा शुल्क
i			
ii			
iii			
iv			
v			
vi			
	कुल योग		

4. बिन्दु– 3 में वर्णित आवेदित पाठ्यकमों का आवेदन शुल्क संबंधी विवरणः–

क्रमांक	निर्धारित शुल्क राशि का विवरण	जमा शुल्क राशि	बैंक का नाम/स्थान खाता क्रमांक/आय.एफ.सी. नंबर एवं दिनांक
i	एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर जमा किया गया शुल्क		
ii	पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का निरन्तरता शुल्क		
	योग		

5. पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का विवरणः–

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	पूर्व वर्ष में दी गई आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय की अनुमति			
ii	विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व वर्ष में दी गई सम्बद्धता की जानकारी			
iii	कॉलेज कोड़–28 में नियुक्तियों की विषयवार संख्या तथा संचालित विषय की सूची			
iv	संस्था का अंकेक्षण आय–व्यय पत्रक दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में			
v	गत वर्ष का परीक्षा परिणाम एवं विषयवार प्रवेशित छात्रों की संख्या			

iv	छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण			
vii	यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित बैंक स्टेटमेंट			
viii	बैंक के माध्यम से वेतन के भुगतान से संबंधित दस्तावेज (प्रमाण/बैंक पास बुक/कैश बुक)			
ix	ई.पी.एफ. कटौत्रा पत्रक			

6. **चल सम्पत्ति का विवरण (सत्र 2008–09 के पूर्व संचालित महाविद्यालयों हेतु) :–**

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	प्रस्तुत FDR/अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र की राशि			
ii	आयुक्त का लियन है या नही?			
iii	FDR/अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक			
iv	FDR/अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र की परिपक्वता का दिनांक व वर्ष			

7. **अचल सम्पत्ति का विवरण :–**

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	भूमि स्वामित्व की है या नहीं			
ii	भूमि 30 वर्ष की लीज, (कब से कब तक का उल्लेख करें।)			
iii	रजिस्टर्ड किरायानामा है/नहीं			
iv	महाविद्यालय भवन कितने वर्षो से किराये पर है, (कब से कब तक का उल्लेख करें।)			
v	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
vi	कालेज में कक्षों की कुल संख्या			
vii	व्याख्यान कक्षों की संख्या			
viii	खेल मैदान की जानकारी (वर्गफुट में)			
ix	प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्षों की संख्या			
x	पुस्तकालय कक्षों की संख्या			
xi	पार्किंग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)			
xii	शौचालयों की संख्या			
xiii	पेयजल व्यवस्था की जानकारी			
xiv	महिला एवं पुरूष प्रसाधन कक्षों की संख्या (अलग–अलग)			

8. **अन्य विवरण :–**

क्रमांक	कार्य का विवरण	(दस्तावेज संलग्न)		संलग्न दस्तावेज क्रमांक
		हाँ	नहीं	
i	100/– के शपथ पत्र की मूल प्रति (परिशिष्ट–5)			
ii	महाविद्यालय में आवेदित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यकम संचालन न करने संबंधी घोषणा–पत्र			
iii	रजिस्टर्ड सोसायटी/ट्रस्ट के पदाधिकारियों/ सदस्यों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित अद्यतन सूची (कार्यकाल की अवधि का उल्लेख करें।) समिति में परिवर्तन की दशा में नवीन अनुमोदित सूची एवं धारा 27 की प्रति। रजिस्ट्रार से अनुमोदित वैध सूची.			

iv	अध्यादेश की प्रति/नवीन आवेदित पाठ्यक्रम के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव का प्रमाण–पत्र			
v	आवेदित नवीन पाठ्यक्रमों में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुए/नहीं इसका उल्लेख करते हुए आवेदक संस्था का प्रमाण पत्र			
vi	भवन में वृद्धि संबंधी दस्तावेज आवेदक संस्था द्वारा सत्यापित है/नहीं			
vii	गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज			
viii	महाविद्यालय में आयोजित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जाने संबंधी घोषणा पत्र			
ix	आदिवासी जिला होने संबंधी कलेक्टर का प्रमाण पत्र			
x	राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारंभ करने संबंधी प्रमाण पत्र			
xi	ऑनलाइन प्रवेशित छात्र–छात्राओं की संकायवार संख्या			
xii	नोटराइज्ड का मूल शपथ पत्र (परिशिष्ट–6)			

आवेदक महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सचिव

हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक)

नाम एवं मोबाइल नम्बर................................

परिशिष्ट–5

तस्दीक (नोटराइज्ड) शपथ–पत्र का प्रारूप

(100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

(मूल प्रति में संलग्न करें)

——000——

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और वर्तमान में समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं तथा मैंने स्वयं इनकी जांच कर ली है। जानकारी असत्य पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी। समिति द्वारा समस्त अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा तथा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित इकाई नियमानुसार प्रारंभ की जायेगी।

....	....
सचिव के हस्ताक्षर	**अध्यक्ष के हस्ताक्षर**
नाम, पदमुद्रा तथा पूर्ण पता	नाम, पदमुद्रा तथा पूर्ण पताः

परिशिष्ट–6

तस्दीक (नोटराइज्ड) शपथ–पत्र का प्रारुप

(मूल प्रति में संलग्न करें)

——000——

हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि :–

1. नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन संकाय/नवीन विषय एवं निरंतरता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है तथा वर्तमान में समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत है।
2. समस्त संलग्न किये गये प्रमाण पत्र वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमने स्वयं इनकी जाँच कर ली है।
3. संलग्न किये गये भूमि (स्वयं) की/लीज/किराये पर) संबंधी समस्त दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं वैध है।
4. कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त होने से 01 वर्ष की समाप्ति तक समिति कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कर लेगी।
5. संबंधित जानकारी असत्य पाए जाने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी हमारी स्वयं की (अध्यक्ष, सचिव एवं समिति) की होगी।
6. हमें यह भी ज्ञात है कि संबंधित जानकारी असत्य पाये जाने पर कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमारी संस्था की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर अर्थ दण्ड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
7. हमने मार्गदर्शिका में निहित निर्देशों के अनुपालन में नियमानुसार विगत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर दी है।

8. मार्गदर्शिका में निहित निर्देशों के अनुपालन में नियमानुसार महाविद्यालय स्टाफ के वेतन आदि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
9. हमें यह भी ज्ञात है कि संबंधित जानकारी असत्य पाये जाने पर कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संस्था की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दिये जाने पर संस्था में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की डिग्री (स्नातक/स्नातकोत्तर) डिप्लोमा/संबंधित उपाधि पूर्ण होने तक की अवधि का संपूर्ण व्यय समिति/संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।

....

सचिव के हस्ताक्षर   अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम   नाम

पदमुद्रा, दिनांक एवं पूर्ण पता   पदमुद्रा, दिनांक एवं पूर्ण पता

साक्षी के हस्ताक्षर

(1) ....

नाम –

दिनांक एवं पूर्ण पता –

(2) ....

नाम –

दिनांक एवं पूर्ण पता –

परिशिष्ट–7

नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र की भूमि संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारूप

(मार्गदर्शिका की कंडिका 5.3.3 के बिंदु क. (1) के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नवीन महा0 ....

....पूर्ण पता..

.... जो समिति / ट्रस्ट / कम्पनी .... द्वारा

किराये के भवन में प्रस्तावित है, साथ ही प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय के किराये का भवन ....(नगरीय / ग्रामीण) क्षेत्र में स्थित है तथा महाविद्यालय स्थल से 05 किलोमीटर की परिधि में 02 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र में / ग्रामीण क्षेत्र में 05 एकड़ भूमि समिति / ट्रस्ट / कम्पनी के नाम से उपलब्ध है। भूमि संबंधी आवश्यक भू–अभिलेखों का मेरे द्वारा सत्यापन किया गया है।

दिनांक ....

स्थान ....

नोट : जो लागू हो चिन्हित करें।

हस्ताक्षर अध्यक्ष / सचिव / प्रबंध संचालक

परिशिष्ट–8

नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/पाठ्यक्रम/विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने संबंधी ऑनलाइन प्रकिया की सम्पूर्ण जानकारी–

1. सर्व प्रथम https://hed.mponline.gov.in की site पर जाकर "Affiliation" link पर click करे।
2. तत्पश्चात् open होने वाली window में "create profile" पर click करके, "user profile creation" में चाही गई आवश्यक details को भरें।
3. अब successful profile creation के पश्चात् "registered email id" पर profile activation हेतु आपको एक e-mail प्राप्त होगा।
4. अब प्राप्त email पर उपलब्ध "activation link" पर click करें, जिससे आपकी profile, activated हो जायेगी तथा "profile activation" window खुल जायेगी।
5. अब email id को user name तथा created password करे use करते हुये login करें।
6. login करने पर "college affiliation" screen खुल जायेगी तथा जिसमें आवेदक अशासकीय महाविद्यालय द्वारा "application for" पर click करकें application type (जैसे add new course/new subject/new class/renewal) को select करने के पश्चात् "NOC form" link पर click करें, जिससे NOC form खुल जायेगा।
7. अब NOC Form को उपलब्ध tab की सहायता से fill करें –
8. सर्वप्रथम "INSTRUCTION" पर click कर उपलब्ध जानकारी को पढ़े।
9. इसके पश्चात् "INSTRUCTION Details" पर click कर चाही गई जानकारी को भर कर "save" करें।
10. इसके पश्चात् "Principal and Trust Details" में चाही गई जानकारी भर कर "save" button पर click करें।
11. तत्पश्चात् "Coures Details" पर click कर उसे भरें एवं "save" करें।
12. अब "Building Details" पर click कर उसे भरें एवं इसे भर कर "save" करें।
13. अब "Other Facilities" पर click कर उसे भरें एवं "save" करें।
14. इसके पश्चात् "Upload Documents" पर click करके सभी required documents को pdf format में upload करें (upto 200kb) तथा "save" करें।
15. अब "Preview" tab पर click करके payment करने से पहले आवेदक महाविद्यालय द्वारा भरे गये NOC Application का preview देखे।
16. इसके पश्चात् "Pay for unpaid/Payment Receipt" link पर click कर आवेदन हेतु required payment करें। इस हेतु MPOnline payment option को select कर paytm/Debit/credit card/Net Banking के माध्यम से online payment की प्रकिया को पूर्ण करें।

17. *Fee Payment Successfully हो जाने के पश्चात् MPOnline Receipt आपके login screen पर appear होगी साथ ही एक SMS एवं mail भी प्राप्त होगा।*

18. *आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय में नवीन/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त गठित समिति/कार्यालयीन शाखा के परीक्षणोपरांत आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति के पश्चात् लॉगिन आई.डी. से आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक संस्था एवं संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा।*

19. *आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक संस्था एवं संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में सम्बद्धता आदेश जारी किये जायेंगे। जिसकी प्रतिलिपि आयुक्त उच्च शिक्षा के* ***ई–मेल: affil-he@mp.gov.in*** *पर 10 अप्रैल तक भिजवाना अनिवार्य होगा।*

............000...............